मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999 (चैत्र 3, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चनेशराम राठिया, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 28वां तथा 29वां प्रतिवेदन एवं लेखा क्रमशः वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(i) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1996-97;
(ii) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (क्रमशः 1 जुलाई, 1996 से 30 जून, 1997 तथा 1 जुलाई, 1997 से 30 जून, 1998), तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश युनिवरसिटी सर्विस रूल्स, 1983 में संशोधन किये जाने संबंधी अधिसूचना क्रमांक 808/99/सी-3/38, दिनांक 23.3.99,

पटल पर रखेंगे

(5) श्री रत्नेश सॉलोमन, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

(क) क्रमांक एफ 20-95-बाईस-पं-2, दिनांक 4 मार्च, 1999,
(ख) क्रमांक एफ 1-28-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 मार्च, 1999,
(ग) क्रमांक एफ 1-19-98-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,
(घ) क्रमांक एफ 1-4-98-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999, तथा
(ङ) क्रमांक एफ 1-22-98-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री योगेश्वर राज सिंह, कुमारी शकुन्तला प्रधान तथा श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, कवर्धा जिले में अनेक डकैतियां होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बस्तर जिले में आदिवासियों को वनोपज का उचित मूल्य न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री राजमणि पटेल, पी.सी.शर्मा, सदस्य, रायसेन के तालाब मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रणवीर सिंह रावत, अजय चन्द्राकर, सदस्य, रायपुर जिले के विकासखण्ड सिमगा अन्तर्गत स्थापित सीमेन्ट प्लान्ट द्वारा प्रभावित कृषकों को रोजगार न दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के अनेक क्षेत्रों में प्रदूषित पेयजल का प्रदाय किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री पर्वतलाल पुरैनिया, सदस्य, मुरैना में पदस्थ विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री सुधाकर राव बापट, सदस्य, सागर जिले के ग्राम मंडी बामौरा में मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री मुंशीलाल, नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम गोरई की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य, दुर्ग जिले में अनियमित रूप से विद्युत का प्रदाय होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(10) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, दन्तेवाड़ा जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों को वितरित किये जा रहे पोषण आहार में कीड़े पाये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बक्सोई स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, इन्दौर के मुम्बई-आगरा राजमार्ग पर चमड़ा उद्योग हेतु भूमि आवंटन में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, कटनी जिले के करौंदी ग्राम में अवैध भवन निर्माण किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम देलाबाड़ी में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को सहायता राशि न मिलने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री महेश तिवारी, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य बीज फार्म एवं विकास निगम के महाप्रबंधक द्वारा कीटनाशक दवाओं की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड बलौदा के कृषकों को नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री रुद्र प्रताप सिंह, सदस्य, रायसेन जिले में स्थित बारना जलाशय को शासन द्वारा लीज पर दिये जाने का प्रयास किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री केदारनाथ शुक्ल, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, सीधी जिले के मोरबा थाना प्रभारी द्वारा लोगों को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले के पेन्ड्रा रोड से कार्यालयों का स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, रमाकान्त तिवारी, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, सीधी के प्रभारी कलेक्टर द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्रीमती प्रीति भार्गव,सदस्य, उज्जैन नगर की कॉलोनियों में हाईटेंशन विद्युत लाइन के करेंट से एक बालक के घायल होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(22) श्री मुंशीलाल, सेवाराम गुप्ता, सदस्य, मुरैना शहर में दो व्यक्तियों पर प्राण घातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री बाबूलाल गौर, लक्ष्मण सिंह गौड़, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कोलौरा में एक महिला की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) चौधरी राकेश सिंह, लालसिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले में पोलियो पीड़ित बच्चों के बढ़ रहे मामलों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, महासमुंद जिले के ग्राम सिंघनपुर की एक महिला की नसबंदी आपरेशन के दौरान मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री ध्यानेन्द्र सिंह, रसाल सिंह, मुंशीलाल, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में अपहरण एवं लूट की घटनायें घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, सदस्य, विदिशा जिले के लटेरी के पास ट्रक दुर्घटना में कई श्रमिकों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुशीला देवी ठाकुर, सदस्य, विदिशा जिले के -

(क) स्टेशन क्षेत्र शेरपुरा स्थित कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने; एवं

(ख) आवासीय कालोनी, टीलाखेड़ी को नगर पालिका सीमा क्षेत्र विदिशा में शामिल कराये जाने,

(2) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर की नलजल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने ,

(3) श्री रामपाल सिह, सदस्य, रायसेन जिले के -

(क) ग्राम सुनवाहा स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने ; एवं
(ख) उदयपुरा-सिलवानी मार्ग में तेंदोनी नदी पर पुल बनाये जाने ,

(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर निगम सीमा अन्तर्गत ग्राम चूना भट्टी के कृषकों को भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के -

(क) करमाई बांध का पानी ग्राम चमरा डोल तक पहुंचाये जाने ;
(ख) महान नदी पर पुल बनाये जाने ; एवं
(ग) ग्राम नौदिया शिकारगाह के करहिया टोला में विद्युतीकरण कराये जाने ; तथा

(6) एडवोकेट विद्यावती पटेल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम उमरी में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री श्रवण कुमार पटेल, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 15 फरवरी, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्रमांक 1948) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घन्टे — (1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 14 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (2) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 18 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (4) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 15 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (5) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 16 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (6) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 17 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (7) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 5 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (8) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 13 सन् 1999) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 23 मार्च, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.